न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 81 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. करमीराम पुत्र टीकमाराम जाति कलबी निवासी मघाणी मेघवालों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।	बनाम	1.सामी पुत्र होती उम्र 45 वर्ष 2.जोगी पुत्र होती उम्र 40 वर्ष 3.पूनमी पत्नी होती उम्र 70 वर्ष जाति रबारी निवासी रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर। 4.शाखा प्रबन्धक, एसबीआई शाखा गुड़ामालानी। 5.तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 231 / 2016 बअनवान करमीराम बनाम सामी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री गंगाराम विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 27.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन अंतगर्त धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उतरदाता संख्या 1 से 5 को नोटिस जारी कर जबाव आवेदन हेतु दिनांक 25.11.2016 को नियत की गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायायल ने दिनांक 25.11:2016 को अपीलांट का अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन अस्वीकार कर खारिज करने का आदेश पारित किया गया है। मौजा रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी में प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 से 03 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 227 रकबा 11.11 बीघा का आया हुआ है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 3 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का है। विधि का यह स्थापित नियम है कि कोई प्रकरण सुदृढ आधारों पर पेश हो और व्यक्ति के खातेदारी अधिकारों को प्रभावित करता है तो उस प्रकरण में भूमि के स्वामित्व को हस्तांतरण नहीं करने से रोका जाना चाहिये अन्यथा वाद की विषयवस्तु व विवादित आराजी के मौके व रिकार्ड के संबंध में पेचिदगियां बढेगी ऐसी स्थिति में भी आलोच्य आदेश अपास्त किया जाकर विप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति रखने बाबत पांबदित किया जाना आवश्यक है।

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन की निस्तारण न्यायिक प्रक्रिया के दुरूपयोग की श्रेणी में आता है। विधि का यह स्थापित नियम है कि कोई प्रकरण सुदृढ आधारों पर पेश हो और व्यक्ति के खातेदारी अधिकारों को प्रभावित करता है तो उस प्रकरण में भूमि के स्वामित्व को हस्तातंरण नहीं करने से रोका जाना चाहिये। उतरदाता संख्या 1 से 3, मौके पर अपीलांट को हिस्से व कब्जे काश्त से जबरन बेदखल करने हेतु प्रयासरत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के हितों की अनदेखी की गई है जबकि अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि नकद प्रतिफल अदा कर खरीद कर राजस्व रेकर्ड में सहखातेदार रूप में दर्ज हो चुका है। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट रेस्पोडेंट की पुश्तैनी खातेदारी में वर्ष 2016 में जरिये विक्रय विलेख क्रेता के रूप में बतौर यह खातेदार दर्ज हुआ है। इसमें पूर्व लंबे समय से रेस्पोडेंट अपने–अपने हक–हिस्सों पर काबिज काश्त है जिसमें अपीलांट को दखल देने की छूट प्रदान करना कतई न्यायसंगत नहीं है। सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से उसे अपनी खातेदारी भूमि के अधिभोग/उपभोग के अधिकारों में हस्तक्षेप होता है। अपीलांट अपनी कब्जाशुदा एवं कब्जा प्राप्त भूमि की सीमा तक ही खातेदारी अधिकारों का उपभोग कर सकता है। मामला पृथमदृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिदुं अपीलांट के पक्ष में नहीं है, लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार करने लायक नहीं है। अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.11.2016 को यथावत रखा जाता है।

27/6/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 27.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/6/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner